

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India.**

असाधारण  
\* EXTRAORDINARY \*

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्रतिभार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 355]  
No. 355]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 26, 1994/भाद्र 4, 1916  
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 26, 1994/BHADRA 4, 1916

जल भूतल परिवहन मंत्रालय

(पलन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 1994

सा. का नि. 651(अ):— महापलन न्याय अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा गुजरात सरकार के पलन तथा मत्स्य पालन विभाग के सचिव को कांडना पलन के न्यायी बोर्ड में गुजरात राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए गुजरात सरकार के सड़क तथा भवन सचिव के स्थान पर एक न्यायी के रूप में नियुक्त

करती है और भारत सरकार जन भूतल परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की दिनांक 31-3-1994 का अधिसूचना संख्या 359(ई) में निम्नलिखित संशोधन करती है:—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 3 के सामने “सचिव मंडल तथा भवन गुजरात सरकार” शब्दों के स्थान पर “सचिव पत्तन तथा मत्स्य पालन विभाग गुजरात सरकार” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. पी टो 18011/6/93 पं टो]

प्रशोक जोशी, सयुक्त सचिव

## MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 1994

G.S.R. 651(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government, hereby, appoints Secretary, Ports and Fisheries Department, Government of Gujarat as a Trustee to represent the State Government of Gujarat on the Board of Trustees for the Port of Kandla vice Secretary, Roads & Buildings, Government of Gujarat and makes the following amendment in the Notification of Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No. GSR 359(E) dated 31-3-1994, namely:—

In the said Notification against serial number 3, for the words “Secretary, Roads & Buildings, Government of Gujarat,” the words “Secretary, Ports and Fisheries Department, Government of Gujarat” shall be substituted.

[F. No. PT-18011/6/93-PT]

ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.